



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) सं 109/2023

निर्णय सुरक्षित किया गया : 17.07.2025

निर्णय पारित किया गया : 06.08.2025

1-श्रीमती. लक्ष्मीन साहू पिता श्री शिव कुमार साहू उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 5, साहूपारा, सरगांव, पुलिस चौकी - सरगांव, पुलिस थाना पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

1 - योगीश कुमार साहू पिता श्री मोहन लाल साहू, 27 वर्ष, निवासी गाँव कादर, पुलिस थाना तथा तहसील-भाटपारा, जिला बलौदाबाजार-भाटपारा, छत्तीसगढ़

---अनावेदक

अपीलकर्ता हेतु :--सुश्री मधुनिशा सिंह, अधिवक्ता

अनावेदक हेतु :--श्री अरविंद प्रसाद, अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद न्यायाधीश के अनुसार,

1. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत यह प्रथम अपील अपीलार्थी-पत्नी (इसमें अनावेदक) द्वारा विद्वान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा एच.एम.ए. क्रमांक 62 ए/2022 में पारित दिनांक 21.12.2022 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत दायर वाद/आवेदन को स्वीकार किया था और क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री प्रदान की थी।



2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पक्षों के बीच विवाह 24.04.2012 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। 23.12.2013 को, उनके विवाह से मधु साहू नामक एक पुत्री का जन्म हुआ, जो वर्तमान में अपीलार्थी-पत्नी के साथ रहती है। पति ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक का आवेदन/याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता-पत्नी उसके साथ क्रूरता से पेश आती है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बार-बार सरगांव स्थित अपने मायके जाने पर ज़ोर देती है और 2014 से बिना किसी उचित कारण या औचित्य के स्वेच्छा से उसे छोड़ रही है। पति ने दावा किया कि पत्नी को वापस लाने के बार-बार प्रयास व्यर्थ गए और वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट गया था।

3. अभिलेख से पता चलता है कि अपीलकर्ता-पत्नी को विधिवत सम्मन भेजा गया था। तामील के बावजूद, वह किसी भी सुनवाई दिनांक को पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। मामले को कई बार स्थगित किया गया, लेकिन अपीलकर्ता उन अवसरों का लाभ उठाने में विफल रही। अंततः, पारिवारिक न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की और पति द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय सुनाया गया।

4. उक्त एकपक्षीय डिक्री से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-पत्नी ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी और उसे अपना बचाव करने का अवसर नहीं मिला था। उसने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने और वैवाहिक संबंध बहाल करने की प्रार्थना की है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-पत्नी को पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी और उसे कभी भी प्रभावी ढंग से नोटिस नहीं दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि वह संबंधित अवधि के दौरान अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी और कुछ पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, वह उपस्थित नहीं हो सकी। यह तर्क दिया गया है कि एकपक्षीय कार्यवाही ने अपीलकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न किया है, क्योंकि उसे वाद लड़ने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वैवाहिक विवादों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, विद्वान पारिवारिक न्यायालय को उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए थे। यह तर्क दिया गया है कि विवाह एक पवित्र संस्था है और दोनों पक्षों की भागीदारी के साथ गुण-दोष के आधार पर प्रभावी निर्णय के बिना इसे भंग नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा थंगम बनाम एम. राजेश (2018 एससीसी ऑनलाइन मैड 5190 में दर्ज) और इंदिरा गंगेले बनाम शैलेंद्र कुमार गंगेले (1992 एससीसी ऑनलाइन एमपी 71 में दर्ज) के मामलों में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख देते हैं।

6. प्रतिपक्ष, उत्तरवादी-पति के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता को समन विधिवत तामील किया गया था और तामील के बावजूद, वह पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। यह तर्क दिया गया कि पारिवारिक न्यायालय ने कई तिथियों पर पर्याप्त अवसर प्रदान किए, लेकिन अपीलकर्ता बिना कोई पर्याप्त कारण बताए अनुपस्थित रहा।



यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के पास एकपक्षीय कार्यवाही के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रूरता और परित्याग के संबंध में पति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया और विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने उचित ही उसका मूल्यांकन किया और तलाक का आदेश पारित किया। तदनुसार, अपील उत्तरवादी को विलंबित करने और उसे परेशान करने के उद्देश्य से दायर की गई है और खारिज किए जाने योग्य है।

7. अब, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता-पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके त्रुटि की है और क्या अपीलकर्ता ने अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया है?

8. अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सम्मन पत्नी के अंतिम ज्ञात और स्थायी पते पर तामील किए गए थे। कई मौकों पर, पारिवारिक न्यायालय ने उसे न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, लेकिन फिर भी, वह न तो वाद लड़ने में विफल रही और न ही लिखित बयान प्रस्तुत करने में। पारिवारिक न्यायालय ने, अपने विवेकानुसार, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का समुचित अनुपालन करने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही करना उचित ही समझा। जहाँ पक्षकार, समन की तामील के बावजूद, उपस्थित न होने का विकल्प चुनता है, वहाँ पारिवारिक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करना उचित है। अपील में केवल यह कथन कि अपीलकर्ता को कार्यवाही की जानकारी नहीं थी, बिना किसी ठोस स्पष्टीकरण के, डिक्री को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी.पी. श्रीवास्तव बनाम आर.के. रायज़ादा (2000) 3 एससीसी 54 में यह टिप्पणी की कि किसी पक्ष को केवल अनुरोध करने पर एकपक्षीय आदेश को रद्द करवाने का पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि प्रतिवादी को उपस्थित होने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे। सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत है:---

“.....यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता और उसके अधिवक्ता की विचारण न्यायालय में अनुपस्थिति उपरोक्त परिस्थितियों के कारण थी, न कि जानबूझकर। आवेदन का समर्थन उसके शपथ पत्र और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया और पाया कि 10.3.1983 को अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता कि न्यायालय में अनुपस्थिति उचित या पर्याप्त कारण से नहीं थी। चिकित्सा प्रमाणपत्र दाखिल करने पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया गया क्योंकि यह पाया गया कि यह किसी सरकारी डॉक्टर से नहीं, बल्कि एक निजी डॉक्टर से प्राप्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उसके पिछले आचरण को देखते हुए उसके विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से इनकार करते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत, किसी प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को न्यायालय की इस संतुष्टि पर रद्द किया जा सकता है कि या तो प्रतिवादी को समन की तामील विधिवत नहीं की गई थी या उसे किसी 'पर्याप्त कारण' से मुकदमे की सुनवाई के समय उपस्थित होने से रोका गया था। जब तक मामले में सुनवाई की तिथि पर प्रतिवादी के उपस्थित न होने के लिए 'पर्याप्त कारण'



नहीं दर्शाया जाता, न्यायालय के पास एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। "किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया" शब्दों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि न्यायालय पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय कर सके, विशेष रूप से तब जब गलती करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता आरोपित न की गई हो। आदेश 9 नियम 13 के प्रयोजन के लिए पर्याप्त कारण को एक लचीली अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए जिसके लिए कोई निश्चित दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। न्यायालयों के पास प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कारण तय करने में व्यापक विवेकाधिकार होता है। अनुपस्थिति के लिए 'पर्याप्त कारण' उस तिथि को संदर्भित करता है जिस दिन अनुपस्थिति को एकपक्षीय कार्यवाही का आधार बनाया गया था और इसे समय से पहले की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर होने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही शुरू होने पर सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर उसकी अनुपस्थिति के लिए 'पर्याप्त कारण' बनाया जाता है, तो उसे उसकी पिछली लापरवाही के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, जिसे पहले अनदेखा किया गया था और इस प्रकार क्षमा कर दिया गया था। ऐसे मामले में जहाँ प्रतिवादी तुरंत और निर्दिष्ट वैधानिक समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, विवेकाधिकार का प्रयोग सामान्यतः उसके पक्ष में किया जाता है, परंतु अनुपस्थिति दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर नहीं थी।....."

10. इसी प्रकार, अरुण व्यास बनाम अनीता व्यास (1999) 4 एससीसी 690 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पत्नी जानबूझकर न्यायालय प्रक्रिया से बचती है और अवसर मिलने के बावजूद कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहती है, और न्यायालय पति के मामले से संतुष्ट है, तो तलाक का आदेश उचित रूप से दिया जा सकता है। सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया है:---

"इसलिए, धारा 406 के संबंध में अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं की जा सकती है। परंतु धारा 498-ए के तहत अपराध के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट ने ऊपर उल्लिखित दं. प्र. सं. कि धारा 473 के दूसरे भाग के दूसरे भाग पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पहलू पर विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश टिकने योग्य नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के उस हिस्से को रद्द करके कोई अवैधानिकता नहीं की है। वंका राधामनोहारी (श्रीमती) बनाम वंका वेंकट रेड्डी एवं अन्य [(1993) 3 एससीसी 4] में, क्रूरता का शिकार हुई पत्नी ने 1985 में अपना ससुराल छोड़ दिया। 1990 में उसने पति और सास के खिलाफ क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराई और आगे कहा कि पति ने दोबारा शादी कर ली है। मजिस्ट्रेट ने भा.दं. सं. कि धारा 498-ए और 494 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। दं. प्र. सं. के धारा 482 के तहत पति की याचिका पर, उच्च न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर, यह माना कि उच्च न्यायालय ने परिवाद को खारिज करने में गलती की है क्योंकि दं. प्र. सं. के धारा 468 को भा.दं. सं. कि धारा 494 के तहत अपराध पर लागू नहीं किया जा सकता है (क्योंकि यह 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है) और यहां तक कि धारा 498-ए के तहत अपराध के संबंध में भी, उच्च न्यायालय का ध्यान दं. प्र. सं. के धारा 473 की ओर आकर्षित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को



रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "इस प्रकार, न्यायालयों को धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए समय सीमा के प्रश्न पर विचार करते समय, अर्थात् किसी महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अधीन करना, उस प्रश्न का निर्णय संहिता की धारा 473 के प्रकाश में करना चाहिए, जिसमें न्यायालय से न केवल यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या देरी को उचित रूप से समझाया गया है, बल्कि यह भी कि क्या "न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है"।

11. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि पत्नी ने वर्तमान अपील दायर करने तक डिक्री पारित होने के बाद भी पारिवारिक न्यायालय से संपर्क करने का कोई प्रयास किया गया था। सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिमल बनाम वीना @ भारती के मामले में (2011) 3 एससीसी 545 में रिपोर्ट किया है, जो निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया जाना चाहिए यदि पक्षकार न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि समन की तामील विधिवत नहीं की गई थी या जब वाद की सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था। हालाँकि, न्यायालय उक्त डिक्री को केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर या ऐसे मामले में अपास्त नहीं करेगा जहाँ प्रतिवादी को दिनांक की सूचना थी और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय था। विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरे परंतुक को अनिवार्य प्रकृति का बना दिया। इस प्रकार, न्यायालय के लिए दूसरे परंतुक में शामिल नियमों और शर्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुए आवेदन को अनुमति देना स्वीकार्य नहीं है।"

13. उपरोक्त के अतिरिक्त, पति द्वारा लगाए गए आरोप उसके साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित थे, जो निर्विवाद रहे। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया और पाया कि पति के साथ मानसिक क्रूरता की गई थी और पत्नी ने याचिका दायर करने से दो वर्ष से अधिक समय पहले उसे छोड़ दिया था।

14. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री में किसी भी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है। अपीलकर्ता कोई वास्तविक मामला बनाने या वाद की कार्यवाही के दौरान अपनी लंबी चुप्पी और अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देने में विफल रही है।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि पारिवारिक न्यायालय ने आक्षेपित डिक्री पारित करने में कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की है। अपील, योग्यता रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-
(रजनी दुबे)

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)



न्यायाधीश

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

